रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

कंपनी सचिव का प्रभाग

सं. एसईसी-4/1/(314)/2007/253 **तारीख 23.5.2007**

परिपत्र

विषयः आरईसी की कपट रोधी नीति

निदेशक बोर्ड ने 17 अप्रैल 2007 को हुई अपनी 314 वीं बैठक में 'आरईसी की कपट रोधी नीति ' का अनुमोदन कर दिया है जिसके ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं ।

बोर्ड ने यह प्रस्ताव भी पारित किया है कि उक्त नीति का एक वर्ष के पश्चात् पुनर्विलोकन किया जाए ताकि इसमें अनुभव के आधार पर आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तन किए जा सकें ।

ह/-

(बी.आर. रघुनंदन)

महाप्रबंधक (विधि) तथा

कंपनी सचिव

संलग्नः अनुबंध

अनुबंध

कपट रोधी नीति - आरईसी

पृष्ठभूमि

निगमित कपट रोधी नीति नियंत्रण व्यवस्था के विकास को सुकर बनाने के लिए तैयार की गई है जिससे आरईसी के विरूद्ध कपट का पता लगाने तथा उसका निवारण करने में सहायता मिलेगी । आरईसी नियंत्रण व्यवस्था के विकास तथा जांच करने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत बनाकर तथा इस संबंध में जिम्मेदारी सौंपकर एक अनुकूल संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य तैयार करना चाहता है। पूर्वोक्त बात तथा आरईसी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए निगमित प्रशासन सिद्धांतों का अनुपालन करने हेतु यह आवश्यक है कि एक व्यापक कपट रोधी नीति बनाई जाए तथा उसे कार्यान्वित किया जाए ।

नीचे प्रस्तुत नीतिगत विवरण को तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित किया जाए :-

नीति के उद्देश्य

'कपट रोधी नीति ', कपट का पता लगाने तथा उसे रोकने की प्रणाली की व्यवस्था करने, किसी ऐसे कपट, जिसका पता लग गया हो या होने का संदेह हो, की रिपोर्टिंग करने तथा कपट से संबंधित मामलों पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए बनाई गई है । यह नीति निम्नलिखित को सुनिश्चित करके उसके संबंध में व्यवस्था करेगी -

(i) यह सुनिश्चित करेगी कि प्रबंधन कपट का पता लगाने तथा उसे रोकने और कपट को रोकने के लिए प्रक्रियाएं बनाने और जब कपट हुआ हो उसका पता लगाने की अपनी जिम्मेदारी से अवगत है ।

(ii) आरईसी के कर्मचारियों तथा आरईसी संव्यवहार करने वाले अन्य संबंधितों को किसी कपटपूर्ण क्रियाकलाप में सम्मिलित होने से रोकने के लिए तथा जहां उन्हें किसी कपटपूर्ण क्रियाकलाप में होने का संदेह हो, वहां उनके द्वारा कार्रवाई करने के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना है।

(iii) कपटपूर्ण क्रियाकलापों की छानबीन करना,

(iv) यह आश्वासन देना कि किसी या सभी संदिग्ध कपटपूर्ण क्रियाकलापों की जांच की जाएगी ।

- आरईसी के विरूद्ध किसी भी रूप में किए गए कपट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नीति का कार्यक्षेत्र

यह नीति किसी कपट या संदिग्ध कपट में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों तथा शेयरधारकों, परामर्शदाताओं, विक्रेताओं, उधारदाताओं, लेनदारों, ठेकेदारों, आरईसी के साथ कारोबार करने वाली बाहरी एजेंसियों, ऐसी एजेंसियों के कर्मचारियों और/या आरईसी के साथ व्यवसाय करने वाले अन्य पक्षकारों पर लागू होती है ।

कपट की परिभाषा

'कपट ' किसी व्यक्ति(व्यक्तियों) द्वारा प्रवंचना, दमन, छल करके या अन्य प्रकार के कपटपूर्ण या अवैध साधनों द्वारा जानबूझकर किया गया कोई कार्य है जिसके द्वारा उसे स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) को गलत तरीके से लाभ होता है या अन्य व्यक्तियों को गलत तरीके से हानि होती है । अनेक बार ऐसे कार्य प्रवंचना/दूसरो को गुमराह करने की दृष्टि से किए जाते हैं जिसके कारण वे कोई ऐसा सद्भाविक कार्य या सद्भाविक निर्णय ले लेते हैं या न लेने पर विवश हो जाते हैं जो दमदार तथ्यों पर आधारित नहीं होता है।

कपट माने जाने वाले कार्य

यद्यपि कपटपूर्ण क्रियाकलापों की पहुंच बहुत व्यापक है तथापि नीचे कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख किया गया है जो कपट की श्रेणी में आते हैं : -

नीचे दी गई सूची केवल दृष्टांत स्वरूप है न कि सर्वांगीण

i. कंपनी से संबंधित किसी दस्तावेज या खाते में जालसाजी या परिवर्तन करना ।

ii. चैक, बैंक ड्राफ्ट या किसी अन्य वित्तीय लिखत आदि में कूटरचना या परिवर्तन ।

iii. कपटपूर्ण साधनों द्वारा निधियों, प्रतिभूतियों, प्रदायों या अन्य आस्तियों का गबन ।

iv. वेतन पत्रक आदि जैसे रिकार्डों का मिथ्या अभिलेख, फाइलों से दस्तावेज हटाना और/या इसे कपटपूर्ण नोट आदि के द्वारा बदलना ।

v. नियुक्ति, नियोजन, रिपोर्टों को प्रस्तुत करने, निविदा समिति की सिफारिशों आदि के मामलों में तथ्यों को जानबूझकर छुपाना/प्रवंचना करना, जिसके परिणाम स्वरूप, किसी को गलत तरीके से लाभ होता है या किसी अन्य को गलत तरीके से हानि होती है ।

vi. निजी प्रयोजनों के लिए कंपनी की निधियों का उपयोग करना ।

vi. किसी ऐसे माल के लिए जिसकी आपूर्ति नहीं की गई है या सेवा जो प्रदान नहीं की गई है; संदायों को प्राधिकृत करना तथा उन्हें प्राप्त करना ।

तथ्यों के छलसाधन और दुर्व्यपदेशन के अंतरस्थ मंतव्य के साथ कंपनी के अभिलेखों या किसी अन्य आस्ति को नष्ट करना, उसका निस्तारण करना, उसे हटाना जिससे कि संदेह/दमन/छल पैदा हो जिसके परिणामस्वरूप, एक तटस्थ निर्धारण/निर्णय न किया जा सके ।

ix. कोई अन्य कार्य जो कपटपूर्ण क्रियाकलाप की परिधि के अधीन आता हो ।

कर्मचारी के नैतिक, नीतिपरक या व्यवहार-आचार से संबंधित संदिग्ध अनुचित क्रियाकलापों का समाधान कपटनीति के बजाय 'विभागीय प्रबंधक ' तथा 'मानव संसाधन ' कर्मचारी संबंधों के द्वारा किया जाना चाहिए ।

कपट की रिपोर्ट करना

i कोई भी कर्मचारी, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, उधारदाताओं, कर्जदार, परामर्शदाता, सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों और ऐसी अन्य एजेंसी (एजेंसियां) जो आरईसी के साथ किसी भी प्रकार का कारोबार करते हों, को कपट या कपट का संदेह होने या किसी अन्य कपटपूर्ण क्रियाकलाप का पता लगने पर अवश्य उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। ऐसी रिपोर्टिंग प्रत्येक परियोजना/आंचलिक/निगमित कार्यालय में नामनिर्दिष्ट पदाभिहित नोडल अधिकारी को की जाएगी । निगमित कार्यालय में विभागाध्यक्ष (आंतरिक संपरीक्षा) नोडल अधिकारी होगा । तथापि, यदि ऐसी रिपोर्ट करने के लिए समय कम है तो उसे आसन्न विभागाध्यक्ष को रिपोर्ट करनी चाहिए जिसका कर्तव्य होगा कि प्राप्त जानकारी को तत्काल नोडल अधिकारी तक पहुँचाया जाए । कपट की रिपोर्टिंग सामान्यतः लिखित में होनी

चाहिए । यदि रिपोर्टकर्ता कपट का लिखित कथन नहीं देना चाहता किंतु कपट/संदिग्ध कपट का आनुक्रमिक तथा विनिर्दिष्ट संव्यवहार उपलब्ध कराने की स्थिति में है तो सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी/नोडल अधिकारी को ऐसे ब्यौरों को रिपोर्टकर्ता द्वारा वर्णित रूप में अभिलेखन करना चाहिए और ऐसे घटना की रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की पहचान संबंधी ब्येरा भी दर्ज करना चाहिए । रिपोर्टें गोपनीय रूप से ली जा सकती हैं तथा व्यक्ति ने कपट/संदिग्ध कपट की रिपोर्ट ली है, उसे रिपोर्टकर्ता के संबध में गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए और ऐसे मामले पर किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य अप्राधिकृत व्यक्ति के साथ विचार-विमर्श नहीं किया जाना चाहिए ।

ii. कपट या संदिग्ध कपट होने की सभी रिपोर्टों पर अतिशीघ्र कार्यवाही की जाएगी तथा नामनिर्दिष्ट नोडल अधिकारी उनका समन्वय करेगा ।

iii. किसी कपट के संदेह होने के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सुसंगत अभिलेख, दस्तावेज तथा अन्य साक्ष्यों को तत्काल अभिरक्षा में ले लिया जाए और उन्हें कपट करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा या उनके प्रभावाधीन किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा छेड़छाड़ करने, नष्ट करने या हटाए जाने से अभिरक्षा प्रदान की जा रही है ।

<u>छानबीन प्रक्रिया</u>

i. नोडल अधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा । जिस कर्मचारी ने बेईमानी का संदेह होने या कपटपूर्ण क्रियाकलाप होने की रिपोर्ट की है, उसे किसी कपटपूर्ण कार्य का संदेह होने से संबंधित जाँच या साक्षात्कार/परिप्रश्न करने का व्यक्तिगत रूप से प्रयास नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से रिपोर्टिंग करने वाले को निम्नलिखित की जानकारी दी जानी चाहिएः -

- तथ्यों को सुनिश्चित करने या प्रत्यावस्थान की मांग के प्रयास में संदिग्ध व्यक्ति के साथ संपर्क न करें ।
- किसी भी व्यक्ति के साथ मामले, तथ्यों, संदेह या आरोप के बारे में चर्चा न करें जब तक कि नोडल अधिकारी द्वारा या प्रभागाध्यक्ष द्वारा ऐसा करने के लिए न कहा जाए ।
- नोडल अधिकारी प्राप्त सभी जानकारी को गोपनीय समझेगा । संदिग्ध अनौचित्य की छानबीन में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए ।

छानबीन की प्रास्थिति से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। किसी भी जांच का समुचित उत्तर है 'मैं इस मामले पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं। ' किसी भी परिस्थिति में, 'आरोप ' 'अपराध ' 'कपट ' 'जालसाजी ' 'गबन ' या कोई अन्य विनिर्दिष्ट संदर्भ नहीं दिया जाना चाहिए । जाँच के परिणामों को प्रकट नहीं किया जाएगा या किसी के साथ उस संबंध में चर्चा नहीं की जाएगी सिवाय उसके जिसे उसको जानने का अधिकार हो । यह उस संदिग्ध व्यक्ति की ख्याति को नुकसान से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है जो बाद में सदोष कदाचार के लिए निर्दोष पाया जा सकता है और एक कंपनी को किसी संभावित दीवानी मुकदमें से बचाने के लिए भी जरूरी है।

यदि नोडल अधिकारी की प्रारंभिक जाँच में यह सबूत मिलता है कि कपटपूर्ण क्रियाकलाप किए गए हैं तो नोडल अधिकारी सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेगा और कपट/संदिग्ध कपट के ब्यौरों को और समुचित जांच करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आरईसी के सतर्कता विभाग को सौंपेगा ।

ii. यह जानकारी सतर्कता विभाग द्वारा जांच किए जा रहे कपट के मामलों की खुफिया सूचनाओं तथा अन्वेषण के अतिरिक्त उनके स्वयं के द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्य के दौरान प्राप्त सूचनाओं के अतिरिव्त होगी ।

iii. सतर्कता विभाग द्वारा जांच पूरी करने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सम्यक् तथा समुचित कार्रवाई, जिसमें प्रशासनिक कार्रवाई, अनुशासनिक कार्रवाई, बोर्ड/संपरीक्षा समिति को रिपोर्टिंग, दीवानी या फौजदारी कार्रवाई या मामले को बंद करवाना(यदि यह साबित हो जाता है कि कपट नहीं किया गया है) आदि भी सम्मिलित हो सकती है। यह जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करते हुए आरंभ की जाएगी ।

iv. सतर्कता विभाग अपने द्वारा की गई जांच के परिणाम को ' नोडल अधिकारी ' को बताएगा । दोनों के बीच लगातार समन्वय बनाए रखा जाएगा ।

कपट निवारण की जिम्मेदारी

i. प्रत्येक कर्मचारी (पूर्णकालिक, अंशकालिक, तदर्थ, अस्थायी, संविदा), विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, उधारदाताओं, उधार लेने वालों, सेवा प्रदाताओं या आरईसी के साथ किसी भी प्रकार का कारबार करने वाली अन्य सभी एजेंसी (एजेंसियों) से आशा की जाती है तथा वे यह सुनिश्चित करने के

जिम्मेदार होंगे कि उनके उत्तरदायी/नियंत्रण क्षेत्रों में कोई कपटपूर्ण कार्य नहीं किया जा रहा है। जब कभी यह पता लगे कि कपट या संदिग्ध कपट हुआ है या होने की संभावना है तो उन्हें प्रक्रिया के अनुसार संबंधित विभागाध्यक्ष को तत्काल सूचित करना चाहिए ।

ii. सभी विभागाध्यक्ष कपट रोकेगें तथा उसका पता लगाएंगें तथा कंपनी की कपट नीति को कार्यान्वित करेंगे । विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके नियंत्रण के क्षेत्र में निम्नलिखित तंत्र मौजूद है -

(क) अनौचित्य के प्रकारों, जो उनके क्षेत्र में संभावित हैं, से प्रत्येक कर्मचारी को अवगत कराना ।

(ख) कपट रोकने तथा उसका पता लगाने के लिए कर्मचारियों को शिक्षित करना ।

(ग) ऐसा वातावारण तैयार करना जिसके द्वारा कर्मचारियों को किसी ऐसे कपट या संदिग्ध कपट, जो उनकी जानकारी में आया हो, बिना किसी भय के रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके ।

(घ) सीडीए नियमों के माध्यम से कंपनी द्वारा अनुमोदित नैतिक सिद्धांतों की जानकारी कर्मचारी को देना ।

iii. संगठन की संविदाओं, स्वीकृतियों, ऋण/सहायिकी/अनुदान करारों की साधारण शर्तों में सम्यक् संशोधन किए जाएंगे जिसमें सभी बोलीकर्ता/सेवा प्रदाता/विक्रेता/ उधारदाता/उधार लेने वालों/परामर्शदाताओं आदि से यह प्रमाणित करने की अपेक्षा की जाएगी कि वे आरईसी की कपट नीति का पालन करेंगे तथा कपटपूर्ण क्रियाकलापों में सम्मिलित नहीं होंगे या अपने संगठन में कहीं भी कार्य करने वाले व्यक्तियों को कपटपूर्ण कार्यों में सम्मिलित नहीं होने देंगे तथा जब कभी कपट/संदिग्ध कपट उनकी जानकारी में आएगा, वे संगठन को उस संबंध में तत्काल सूचित करेंगे ।

ये शर्तें बोली/सहायिकी/अनुदान आवेदन तथा संविदा/ऋण/सहायिकी/ अनुदान के निष्पादन के करार को प्रस्तुत करते समय दस्तावेज़ों के भाग रूप होंगी ।

प्रशासन तथा नीति का पुनर्विलोकनः

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक इस नीति की व्याख्या तथा पुनरीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे । जब कभी आवश्यकता हो, नीति का पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा ।